

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

तारीख हुक्म
 म्यूटेशन अंश- 233/2022 (G.O.M.S No. 2022/292)
 धासीराम v/ सुगमराम वर्गद
 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28/3/23 वकुलाम उपो) वकील अपीलान्ट को रेस्ये सं- 3/4, 3/5, 3/6 के सम्मन तलबना पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है, जो पेश होने पर तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 19/4/23 को पेश हो

कलक्टर नागौर

11-5-23 पत्रावली पेश हुई। दिनांक 17.04.2023 से राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर होने से प्रकरण में पेशी 10.05.23 एवं तत्पश्चात 24.05.2023 नियत की गई। वकुलाय उपस्थित। वकील अपीलान्ट श्री निम्बाराम काला ने प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली आज पेशी पर ली जाकर अपील जरिये विद्वावल खारिज करने हेतु प्रस्तुत किया, जो शा0मि0 किया गया। वकील अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि हस्तगत अपील में पक्षकारान आपस में एक ही परिवार के है। पक्षकारान रेस्पोंडेन्ट्स ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है जिससे अपीलान्ट अपील को चलाना नहीं चाहते है, का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का जरिये विद्वावल खारिज करने का निवेदन किया है।

अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील तहसीलदार मेड़ता द्वारा ग्राम उंचारड़ा खुर्द के नामान्तकरण संख्या-260 स्वीकृत दिनांक 24.05.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। वकील अपीलान्ट के कथनानुसार हस्तगत अपील में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं वह अपील को चलाना नहीं चाहते है एवं हस्तगत अपील को जरिये विद्वावल खारिज करने का निवेदन किया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलान्ट जरिये विद्वावल खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार मेड़ता को उनका मूल म्यूटेशन लौटाते हुए आदेश की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(पीयुष समारिया)
 कलक्टर, नागौर

(Handwritten signatures and notes on the right margin)